10 नि । 124 H

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी प्रभात त्रिपाठी) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./102/2022

1. दीपककुमार पुत्र श्री मूलचन्द जाति बैरवा निवासी सवाईपुरा, तहसील भिनाय अजमेर
2. सोहनलाल पुत्र श्री रामदेव जाति बैरवा निवासी सवाईपुरा, तहसील भिनाय अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. उमराव पत्नी सत्यनारायण जाति साधु निवासी सवाईपुरा तहसील भिनाय, अजमेर
2. गोपाल पुत्र चुन्नीदास जाति साधु निवासी सवाईपुरा तहसील भिनाय, अजमेर
3. चान्दा पत्नी गोपाल जाति साधु निवासी सवाईपुरा तहसील भिनाय, अजमेर
4. राधेश्याम पुत्र चुन्नीदास जाति साधु निवासी सवाईपुरा तहसील भिनाय, अजमेर
5. सत्यनारायण पुत्र चुन्नीदास जाति साधु निवासी सवाईपुरा तहसील भिनाय, अजमेर
6. हीरी पत्नी राधेश्याम जाति साधु निवासी सवाईपुरा तहसील भिनाय, अजमेर
7. नाथूलाल पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा निवासी सवाईपुरा तहसील भिनाय, अजमेर
8. पूरणमल पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा निवासी सवाईपुरा तहसील भिनाय, अजमेर
9. सोहनपुरी पुत्र संतोषपुरी जाति गुंसाई निवासी सवाईपुरा तहसील भिनाय, अजमेर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– शम्मी मोहम्मद
2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा सवाईपुरा पटवार क्षेत्र पड़ांगा भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 32 में दर्ज खसरा नं. 463 रकबा 0.51 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.51 हैं0 है,** जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 09 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 लगा0 08 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 लगायत 08 के विरूध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 09 द्वारा पत्रावाली में उपस्थित होकर प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढ़ी की जाने पर अपनी अनापत्ति प्रकट की। पत्रावली में पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र पैरोकार सरकार तथा राजस्व जमाबन्दी ग्राम सवाईपुरा का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व मनन किया जाने पर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner